

महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन: एक अध्ययन

Kavita*

M.Phil. History

सार – सत्य मे ही सब बातों का समावेश हो जाता है। अहिंसा में चाहे सत्य का समावेश ना होता हो पर... सत्य में अहिंसा का समावेश हो जाता है।

-----X-----

महात्मा गांधी

महात्मा गाँधी भारतीय राजनीति के क्षितिज पर एक चमकते सितारे के रूप में उदय हुए। दक्षिण अफ्रिका में गाँधी जी वहा बसे भारतीय के राष्ट्रीय सम्मान और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभूतपूर्व आंदोलन का नेतृत्व किया था। उस अहिंसक तथा नैतिक सिद्धांतों से प्रेरित संघर्ष ने गाँधी जी के दर्शन की रूप रेखा निर्धारित की थी।

सत्य और अहिंसा के बल पर गाँधी जी नें स्वदेश आकर विरामगाम की जकात व्यवस्था का विरोध किया, चम्पारण के किसानों की विडम्बनाओं का निवारण खेडा के कृषको को अनुचित भूमि कर से राहत दिलवाई।²

इन सत्य और अहिंसा हथियारों की बदौलत गाँधी जी राजनीति मंच पर छा गए। गाँधी जी ने 35 वर्ष पूरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रवाद के प्रभावशाली राजनीति हथियार मे बदल दिया।

असहयोग आंदोलन की पृष्ठ भूमि:-

रौलट विरोधी सत्याग्रह के वापिस लिये जाने के बाद गाँधी जी खिलाफत आंदोलन से जुड़ गए, जिससे उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध साझे संघर्ष मे हिंदुओं और मुस्लिमानों को एक जूट करने का सुनहरा अवसर नजर आया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगर तुर्की के साथ शांति संधि की शर्तें भारतीय मुस्लिमानों को संतुष्ट नहीं करती तो वे असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे।³

असहयोग आंदोलन का आगाज:-

28 जुलाई को महात्मा गाँधी ने घोषणा की असहयोग आंदोलन पहली अगस्त से उपवास और प्रार्थना के साथ आरंभ किया जाएगा और सारी गतिविधियाँ रोक दी जाएगी

आंदोलन शुरू करने से पहले गाँधी जी ने वायसराय को लिखा सम्राट की सरकार ने खिलाफत के मामले में कपट अनैतिकता और अन्यायपूर्ण काम किया है ऐसी सरकार के लिए मेरे मन में आदर नहीं रह सकता और ना हि सद्भाव । इस पत्र के साथ उन्होंने अपने सभी पदक लौटा दिए जो उन्हें सेवाओं के बदले मिले थे ।

सितम्बर 1920ई0 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के विचारार्थ कलकता मे अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन आयोजित किया। इस समय प्रस्ताव पास करते हुए इन्होंने कहा कि-ब्रितानी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं इस सरकार को अपनी भूलों पर कोई दूख नहीं है इसलिए स्वराज की प्राप्ति के लिए प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग की नीति अपनायी जानी चाहिए। गांधी जी ने वादा किया कि यदि मेरी योजना को पूरा-2 समर्थन मिला तो आपको एक वर्ष मे स्वराज्य मिल जाएगा।⁴

आरंभिक दौर मे असहयोग आंदोलन को गुजरात और बिहार मे समर्थन मिला । कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने जिनमे मोती लाल नेहरू, चितरंजन दास, तिलक, एनी बेसेट, जिन्नाह ने इसका विरोध किया लेकिन बाद मे अली बंधुओं तथा मोती लाल नेहरू के समर्थन से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस मे 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि

कर दी गई। कांग्रेस के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन उस फतवे द्वारा किया गया जो जमायतुल उलेमाए हिंद ने जारी किया जिसमें मुस्लिमों से कहा गया कि ये चुनावों सरकारी स्कूल-कालेजों और अदालतों का बहिष्कार करें। सरकारी खिताबों और पदवियों को त्याग दें। इस फतवें पर लगभग 900 उलेमाओं के हस्ताक्षर थे।⁵

नागपुर में कांग्रेस का नया संविधान भी स्वीकार किया गया और इस प्रकार कांग्रेस ने एक नई कार्यशील जीवन संस्था का रूप ले लिया जिसका उद्देश्य स्वाधीनता संग्राम का संचालन करना था। इसके साथ अब कांग्रेस का नेतृत्व 15 सदस्यों की एक वर्किंग कमेटी को सौंपा गया जिसमें अध्यक्ष और सचिव शामिल थे। कांग्रेस का संगठन अब छोटे कस्बों और मुहल्लों तक भी फैलने वाला था। सदस्यता शुल्क घटाकर प्रति वर्ष चार आने कर दिया ताकि निर्धन ग्रामीण और नगर के निर्धन लोग भी उसके सदस्य बन सके। असहयोग प्रस्ताव संबंधी प्रमुख कार्यक्रम दो प्रकार के थे।

1. निषेधात्मक कार्यक्रम
2. रचनात्मक कार्यक्रम

निषेधात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के प्रति असहयोग करना था जो निम्न प्रकार से होना था।

1. सरकारी उपाधियों का बहिष्कार
2. सरकारी तथा सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों का बहिष्कार
3. सरकारी अदालतों का बहिष्कार विधान परिषदों का बहिष्कार
4. दमनकारी कानूनों की सविनय अवज्ञा कर न देना
5. सरकारी दरवारों उसके और सरकार के सम्मान में आयोजित सरकारी या गैर सरकारी उत्सवों में शामिल न होना।

रचनात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य जनता का कल्याण एवं राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि करना था।

1. पंचायत के झंडे के नीचे देश को संगठित करना।
2. विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करके खादी का प्रयोग करना।

3. हिंदु मुस्लिम एकता की पुनरुत्थापन करना।
4. राष्ट्रीय स्कूलों एवं कालेजों की स्थापना करके उसमें विद्यार्थियों को भेजना।⁶

इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने राष्ट्रवादी विचारधारा को निचले स्तर पर किसानों तक पहुँचाने के लिए इस शक्ति का इस्तेमाल एक कारगर माध्यम के रूप में किया। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य यह था कि निचले स्तर के किसानों के कांग्रेस के असहयोग के विशिष्ट रूपों के साथ जोड़ा जा सके। दरअसल कांग्रेस कमेटीयों कांग्रेस सदस्यों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के केंद्र थी। विभिन्न जिलों के कांग्रेस कमेटीयों की जरूरतों यको पूरा करने के लिए खादी भंडार खोले गए। स्वदेशी के प्रचलन के लिए आधार अपनी हि संस्कृति में खोजे गए।⁷

आंदोलन ने जनता के अंतः स्थल को उद्वेलित कर दिया सर्वत्र त्याग और बलिदान के अभूतपूर्व दृश्य देखने में आए मोतीलाल नेहरू, चितरनदास, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे चोटी के वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, हजारों विद्यार्थी स्कूलों-कालेजों से बाहर निकल आए अनेक राष्ट्रीय स्कूल खोले गए जहाँ अध्यापक गुजारे मात्र के लिए पैसे लेकर पढ़ाने लगे। सुभाष चंद बोस ने आई.सी.एस. से इस्तीफा दे दिया और कलकत्ता में नेशनल कालेज के प्रिंसिपल पद पर काम करने लगे। जवाहर लाल नेहरू ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को नमस्कार किया और असहयोग के भंवर में खिंच गए।⁸

गांधी जी प्रचार को महत्व देते थे लेकिन उससे भी अधिक महत्व रचनात्मक कार्य को देते थे उसके लिए रुपये जुटाना आवश्यक था इसलिए मार्च 1921 में बेजवाड़े में कांग्रेस की कार्य समिति में कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए गांधी जी की प्रेरणा से लोकमान्य तिलक के समारक के रूप में तिलक स्वराज कोश में एक करोड़ रुपये एकत्र करने का प्रस्ताव हुआ।⁹ इसमें स्त्रियों ने बहुत उत्साह दिखाया और अपने गहने जेवरों का खुलकर दान किया।

कांग्रेस ने अब आंदोलन को और ऊँचे स्तर तक ले जाने का फैसला किया। इसलिए हर एक प्रांत की कांग्रेस कमेटी को अनुमति दी कि अगर उसकी राय में उस प्रांत की जनता तैयार हो तो वह नागरिक अवज्ञा आंदोलन या ब्रिटिश कानूनों के उल्लंघन का आंदोलन आरंभ कर सकती है और इसमें करों का भुगतान को रोकने का कार्यक्रम भी लागू हो सकता है।¹⁰

लार्ड रीडिंग ने आंदोलन को दबाने के लिए दमकचक्र तेज कर दिया। ब्रिटिश पुलिस कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना प्रारंभ कर दी। सबसे पहले सी.आर. दास को गिरफ्तार किया

गया इसके अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, मोहम्मद अली इत्यादि को जेल में डाला गया।¹¹

नवम्बर में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। इसका स्वागत कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीयों ने बहिष्कार करके किया। जहां कहीं भी वे जाते वहां हड़ताल हो जाती प्रिंस ऑफ वेल्स के कलकत्ता पहुंचने के समय तक गर्वनर जनरल रीडिंग ने समझौता करना चाहा। परंतु गांधी जी ने इसके लिए मोहम्मद अली और शौकत अली की पूर्व रिहाई की शर्त रखी। चूंकि सरकार को यह शर्त मंजूर नहीं अतः समझौते का प्रयत्न विफल हो गया। क्रुद्ध होकर ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमन की नीति का साहरा लिया। परिणाम स्वरूप स्थान-स्थान पर लाठी चार्ज, मार-पीठ, गोलीकांड सामान्य सी बात हो गई और लगभग 60 हजार आंदोलनकारियों को इस अवधि में गिरफ्तार किया गया।

इस दौर तक आते-आते असहयोग आंदोलन जनता में गहरी जड़ें जमा चुका था। संयुक्त प्रांत में अवध किसान आंदोलन के नेतृत्व में हजारों किसानों ने असहयोग के आह्वान का पालन किया। पंजाब के गुरुद्वारों में भ्रष्ट महतों का कब्जा समाप्त कर वहां अहिंसक अकाली आंदोलन चलाया गया। पूर्वोत्तर में आसाम के चाय बगानों में मजदूरों ने हड़तालें कीं। मिदानपूर के किसान युनियन बोर्ड को कर न देने से इंकार कर दिया। उत्तरी केरला में मालाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन शुरू किया था।¹² यह एक ऐसी विशेषता थी जो इससे पहले के आंदोलनों में नहीं थी।

1921 में बड़े दिन पर कांग्रेस की बैठक अहमदाबाद में हुई इसमें कांग्रेस की भावी रणनीति की पूरी जिम्मेदारी महात्मा गांधी को दी गई। इसमें उलेमाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने घोषणा की कि यदि सात दिनों के अंदर राजनैतिक बंदी रिहा नहीं किये जाते और प्रेस के राजकीय नियंत्रण समाप्त नहीं होते तो वे करों की आदायगी समेत सामूहिक रूप से बारदोली में एक देश व्यापक आंदोलन शुरू करने में बाध्य होगी फरवरी 1922 ई0 में बारदोली में सिविल नाफरमानी आंदोलन चलाया जाना था। लेकिन तभी 5 फरवरी को संयुक्त प्रांत के गोरखपूर जिले में चैरी चैरा नाम स्थान पर कृषकों को एक जूलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हुई। इस घटना से महात्मा गांधी को बहुत दुख पहुंचा।

बारदोली प्रस्ताव

12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की एक बैठक हुई इसमें प्रस्तावित प्रस्ताव में आंदोलन को 6 वर्ष के लिए रोक दिया, आंदोलन वापिस लेने की घोषणा के साथ हि किसानों से कर और काश्तकारों से लगान देने की अपील भी की थी।

गांधी जी ने कहा मेरा धर्म अड़िग है। उसकी कसौटी ऐसे समय में ही हो सकती है। मैं जब अहिंसा की भावनाओं में वृद्धि होते देखता हूँ तब तक तो अनेक जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ लेकिन जब मे यह देखता हूँ कोई दूसरा मेरी प्रवृत्ति का अनुचित उपयोग कर रहा है तब मैं एक पग भी आगे नहीं उठा सकता।¹³ वह हर तरह के अपमान, यातना, बहिष्कार और मृत्यु तक के वरण करने को तत्पर था, ताकि आंदोलन हिंसात्मक न हो जाये।

राष्ट्रीय शक्तियों के मत-वैमिन्य का लाभ उठाते हुए सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी ने कोई सफाई पेश नहीं की बल्कि इसके उल्टे उन्होंने यह अपराध स्वीकार किया कि वह सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़काते रहे हैं। गांधी जी ने साफ शिष्ट शब्दों में अपने लिए कड़े से कड़ी सजा दिए जाने का अनुरोध किया। जज ब्रमफिल्ड के द्वारा उन्हें 6 वर्षों की सजा दी गई और उन्हें पुणे के पखड़ा केंद्र में रखा गया। किंतु स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया।

असहयोग आंदोलन संबंधी विविध दृष्टिकोण

- ▶ सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि-ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह चरम पर था वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं।
- ▶ मोतीलाल नेहरू ने कहा कि-कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसका सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए।
- ▶ मौलाना आजाद-आंदोलन का वापिस लिया जाना एक महान भूल है।

निष्कर्ष

असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता ये रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया उसके अंदर आजादी की भूख जगाई। न केवल भारत के इतिहास में बल्कि किसी भी इतिहास में पहला इतना व्यापक निःशस्त्र विद्रोह

नहीं हुआ था। इस आंदोलन को निःसंदेह अपने घोषित उद्देश्यों में सफलता नहीं मिली थी।

गांधी जी स्वराज खिलाफत की पुनः स्थापना के उद्देश्य को लेकर चले अवश्य लेकिन उनकी दृष्टि में वे अपने आप में अंतिम उद्देश्य नहीं थे। स्वराज्य उनके आदर्श की उपलब्धि का एक आवश्यक साधन था। खिलाफत एक आंतरिक आस्था का बाह्य प्रतीक था। सत्य और अहिंसा एक ही सच्चाई के दो पहलू हैं वह सच्चाई सार रूप से अध्यात्मिक है गांधी जी का आदर्श बहुत दूर झिलमिलाता हुआ एक परिदृश्य था लेकिन वे जीवनपर्यंत उसी पर निगाह जमाए रहे और उनके मजबूत पांव उसी राह पर बढ़ते रहे जो उनकी और ले जाती है।

संदर्भ सूची

- शंकर लाल बैकर गांधी जी और राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ (1969. नवजीवन ट्रस्ट पृष्ठ संख्या 5)
- विपिन चंद्र आधुनिक भारत का इतिहास (2008. नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 5)
- राम लखन शुक्ल आधुनिक भारत का इतिहास (1987. नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 575)
- ताराचंद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों का इतिहास (खंड.1965)
- शंकर लाल बैकर गांधी जी और राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ (1969. नवजीवन ट्रस्ट, पृ. सं. 156)
- राम लखन शुक्ल आधुनिक भारत का इतिहास (1987. नई दिल्ली, पृ. सं. 580)
- ताराचंद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों का इतिहास (खंड 1965, पृ. सं. 534)
- विपिन चंद्र आधुनिक भारत का इतिहास (2008. नई दिल्ली, पृ. सं. 534)
- शंकर लाल बैकर गांधी जी और राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ (1969. नवजीवन ट्रस्ट पृ. सं. 534)
- विपिन चंद्र पूर्व उद्धत पृ. सं. 288
- शेखर बघोपाध्याय प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद (नई दिल्ली)
- राम लखन शुक्ल पूर्व उद्धत पृ. सं. 584

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय पृ. सं. 508

Corresponding Author

Kavita*

M.Phil. History

11nkchahar@gmail.com